

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,  
Environment Department.

ATMS - 63064

To

The Chairman,  
Haryana State Pollution Control Board,  
C-11, Sector-6, Panchkula.

Memo No. 2/24/2019-1Env  
Dated 16.09.2019

Sub: Amendments in Haryana State Pollution Control Board (Group A,B,C and D) Service Regulations, 2004 of the Employees.

\*\*\*\*\*

CHAIRMAN (on tour)

Reference your letter No. HSPCB/Estdt./2019/4447 dated 22.05.2019 on the subject noted above. 17/9/19

A copy of English and Hindi notification dated 06.09.2019 regarding subject cited matter

is hereby sent for further necessary action and to upload the same on your official website.

W.O.  
17/9/19  
MS  
Ad.o.

S

17/9/19

EATI

63780  
17/9/19

OPI  
18/9/18.

SD

Estdt/Estdt/64447

Dated 17/9/2019

A copy of above is forwarded to E.B-I.T.  
for information & necessary action Pl,

S  
Sunita Rani  
Administrative Officer

Haryana State Pollution Control Board  
C-11, Sector-6, Panchkula ✓



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 152-2019/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2019  
(15 भाद्र, 1941 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 68/के०आ०६/१९७४/धा० १२/२०१९, दिनांक ०६ सितम्बर, २०१९— हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (युप क, ख, ग तथा घ) सेवा (संशोधन) विनियम, २०१९।	५४३-५४४
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० ४४/संवि०/अनु० ३०९/२०१९, दिनांक ०६ सितम्बर, २०१९— हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (युप क) सेवा नियम, २०१९।	५४५-५६२
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० ४५/संवि०/अनु० ३०९/२०१९, दिनांक ०६ सितम्बर, २०१९— हरियाणा इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, विभाग (युप घ) सेवा (संशोधन) नियम, २०१९。 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	५६३-५७२
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 सितम्बर, 2019

संख्या का०आ० 68 /के०आ० 68 /1974/धा० 12/2019.— जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 12 की उपधारा (3) तथा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (गुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2004, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये विनियम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (गुप क, ख, ग तथा घ) सेवा (संशोधन) विनियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (गुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2004 में, परिशिष्ट ख में, अन्त में, विद्यमान टिप्पण में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
 

"(i) क्रम संख्या 31 से 35 पर वर्णित पदों को छोड़कर, उपरोक्त वर्णित सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अनिवार्य है।"

धीरा खण्डेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT**

**Notification**

The 6th September, 2019

No. S.O. 68/C.A.6/1974/S.12/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (3A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974), the Haryana State Pollution Control Board with the approval of the State Government hereby makes the following regulations further to amend the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service Regulations, 2004, namely:-

1. These regulations may be called the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service (Amendment) Regulations, 2019.
2. In the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service Regulations, 2004, in Appendix –B, in note existing at the end, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(i) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education is essential for all the above mentioned post except for the posts mentioned at serial numbers 31 to 35.”.

DHEERA KHANDELWAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Environment and Climate Change Department.

57348—L.R.—H.G.P., Chd.